

पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली- स्पार्श (System for Pension Administration Raksha- SPARSH), के हतिधारकों से इसे उपयोगकर्ताओं हेतु और अधिक अनुकूल बनाने का आग्रह किया है।

- **वन रैंक वन पेंशन (OROP)** योजना भी सेवा की समान अवधि (भले ही सेवानिवृत्त की तथि कुछ भी हो) के लिये समान रैंक के सैन्य अधिकारियों को समान पेंशन का भुगतान करने का प्रावधान करती है।

स्पार्श (SPARSH) योजना

परिचय:

- यह रक्षा पेंशन की स्वीकृत एवं संवतिरण के स्वचालन हेतु एक एकीकृत प्रणाली है।
- यह वेब-आधारित प्रणाली पेंशन दावों को संसाधित करती है और कसिबाह्य मध्यस्थ पर भरोसा किये बिना सीधे रक्षा पेंशनरों के बैंक खातों में पेंशन जमा करती है।
- पेंशनरों के लिये उनकी पेंशन संबंधी जानकारी को देखने, सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने और शिकायत दर्ज करने (यदि कोई हो) के लिये एक पेंशनभोगी पोर्टल उपलब्ध है।

उद्देश्य:

- स्पार्श (SPARSH) सेवा केंद्रों की स्थापना की परकिल्पना करता है ताकि उन पेंशनभोगियों को अंतिम बट्टि तक कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके जो स्पार्श पोर्टल तक सीधे पहुँचने में असमर्थ हो सकते हैं।
- स्पार्श को रक्षा पेंशनरों को केंद्र में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जनिहें एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पेंशन खाते के बारे में पूरी तरह से पारदर्शी जानकारी प्रदान की जाएगी।

- इसका उद्देश्य पेंशन स्वीकृत और संवतिरण प्रक्रिया में वर्तमान चुनौतियों का समाधान करना है जैसे कि-

- साइलो (silos) में मौजूद केंद्रीकृत समाधान।
- प्रसंस्करण में मैनुअल हस्तक्षेप।
- पेंशनरों के प्रश्नों आदि के समाधान के लिये केंद्रीकृत सूचना का अभाव।

लाभ:

- यह पेंशनरों को उनके अनुरोधों के त्वरित कार्यावाही और घोषणाओं पर हस्ताक्षर करने के लिये सक्षम सेवाओं का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करता है, जिससे उनका अनुभव वास्तव में कागज रहित और परेशानी मुक्त हो जाता है।
- यह पेंशन शुरू होने की तारीख से अंतिम पात्र लाभार्थी को देय पेंशन की समाप्ति की तारीख तक पेंशनभोगी की घटनाओं और हकदारियों का पूरा इतिहास रखता है।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)